



Neutral Citation No. - 2026:AHC:164840

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7676/2026**

अभिनेश चतुर्वेदी उर्फ अभिनेश कुमार चतुर्वेदी आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : बाबू लाल राम, ज्योति भूषण

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
- 2- प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 157 वर्ष 2026, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 317(2) बी.एन.एस., 2023, थाना-मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत प्रकरण में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
- 3- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक को उसके भाई के साथ वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है। आरोप यह है

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कि मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति पीड़िता के पास आए, उसे 2 लाख रुपये का एक चेक दिया और 7,000 रुपये कमीशन के रूप में मांगे। जब वह कमीशन की राशि देने में असमर्थ रही, तो उन्होंने उससे उसके टॉप्स (कान की बालियाँ) मांग लीं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन का कथानक इस बात पर मौन है कि कथित ठगों की पहचान कैसे हुई और कथित रूप से पुलिस मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आवेदक के भाई को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से उक्त कान की बालियाँ बरामद की गईं। आवेदक के भाई के बयान में विवेचना के दौरान आवेदक का नाम सामने आया है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के भाई का आपराधिक इतिहास है और ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक के भाई पर दबाव बनाने के लिए आवेदक को भी वर्तमान प्रकरण में फंसा दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि सह-अभियुक्त की पहचान सूचनाकर्ता द्वारा उस समय की गई थी, जब उसके कब्जे से बरामदगी की गई। विद्वान ए.जी.ए. ने बताया कि आवेदक के विरुद्ध बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। तथापि, वह इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

6- प्रथमदृष्ट्या, अभिलेख के परिशीलन से प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग एक दिन के विलंब के पश्चात दर्ज की गई है। आवेदक का उस क्लोन किए गए चेक से कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ है, जो कथित रूप से सूचनाकर्ता को दिया गया था। राम गोपाल नामक व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया है, जिसने यह भी कहा है कि दो व्यक्तियों ने मिथ्या बहाने से उसकी चेकबुक ले

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ली थी। गिरफ्तार किए गए सह-अभियुक्त की पहचान राम गोपाल के समक्ष नहीं कराई गई है। सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य ठोस साक्ष्य नहीं है। विवादित कान की बालियों की बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।

7- जहाँ तक विद्वान ए.जी.ए. द्वारा बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी किए जाने के संबंध में आपत्ति का प्रश्न है, ऐसे प्रकरणों में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, जहाँ वारंट अथवा बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई हो। सर्वोच्च न्यायालय ने आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 5633 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे प्रकरणों में भी अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, जहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की गई हो। पैराग्राफ 8 में न्यायालय ने निम्नवत् टिप्पणी की है:

“अग्रिम जमानत पर विचार के संबंध में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा किए जाने की स्थिति में ऐसा नहीं है कि सभी प्रकरणों में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।”

8- जैसा कि उपर्युक्त विवेचना की गई है, प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

10- उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- **अभिषेक चतुर्वेदी @ अभिषेक कुमार चतुर्वेदी** की गिरफ्तारी की दशा में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा;

11- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

6 अगस्त, 2026

कुशल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”